न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 20/2017
दायर दिनांक :– 31.01.2017

अनवान

1. श्री महावीर प्रसाद पिता रामस्वरूप ब्राहमण नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
2. श्री अंजनी कुमार पिता रामस्वरूप ब्राहमण नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. श्री भगवान स्वरूप पिता रामस्वरूप ब्राहमण नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
2. श्री रामस्वरूप पिता मोहनलाल ब्राहमण नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर (मृतक)
3. तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री ओम प्रकाश मुन्दडा, एडवोकेट वादीगण
2. श्री बद्रीलाल मीणा, एडवोकेट प्रतिवादीगण

:: निर्णय :: दिनांक 16.12.2019

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 6340, 6341, 6353, 6357 कुल किता 4 रकबा 04.03 बीघा कृषि भुमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की माता व प्रतिवादी सं. 2 की पत्नि नन्दु पुत्री राधावल्लभ ब्राहमण के खाते में दर्ज हैं उक्त भुमि पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि मूली देवी पत्नि रामगोपाल ब्राहमण की भूमि थी जो जरिये वल्दयत से हम वादीगण की माता नन्दू देवी को प्राप्त हुई है। हम वादीगण की माता नन्दू देवी पुत्री राधावल्लभ पत्नि रामस्वरूप भुवालिया ब्राहमण दिंनांक 15.09.2003 को मृत्यु हो चुकी हैं उक्त वादी कृषि भुमि पैतृक कृषि भूमिया हैं जो मेरी माता को विरासत से प्राप्त हुई हैं एवं नन्दु देवी के हम वादीगण एव प्रतिवादी सं. 1 व 2 विधिक उत्तराधिकारी है। इस कारण मृतक नन्दु देवी की सम्पत्ति कृषि भुमि मे हम वादीगण को हक एव अधिकार जन्म से प्राप्त होता हैं हम पक्षकारान हिन्दु विधि से शासित होने के कारण वादीगण की माता मृतक नन्दु देवी की कृषि भूमि मे हम वादीगण का 1/4 1/4 यानि कुल 1/2 हक व हिस्सा प्राप्त होता हैं इसलिये उक्त भूमि मे से 1/2 हक व हिस्से के लिये वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है प्रतिवादी सं. 1 व 2 राजस्व अधिकारियो की मिली भगत कर मृतक नन्दु देवी की सम्पुर्ण कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज करने पर आमादा है जिसका की प्रतिवादी को कोई हक व अधिकार नही हैं। इस प्रकार मृतक नन्दु देवी की कृषि भुमि में से 1/2 हक व हिस्से के लिये वादीगण एव 1/2 हक व हिस्से के लिये प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाा आवश्यक व न्याय संगत हैं। उक्त वर्णित भुमि में से वादी सं. 1 को 1/4 एवं वादी सं. 2 का

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

4 यानि कुल में से 1/2 हक व हिस्से के लिये वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण तथा वादीगणों को इस भूमि का 1/2 का खातेदार काश्तकार किया जाकर प्रतिवादीगणों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित कराये जाने की मांग की।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त कर शा0 फा0 किये गये। प्रतिवादीगण की और से श्री बद्रीलाल मीणा, एडवोकेट का अधिकार पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी का दावा खातेदारी घोषणा का है जिसके लिये राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार है जिसे 80 सीपीसी का नोटिस दिये बिना वाद चल नही सकता। व दावा 80 सीपीसी का नोटिस नही देने से खारीज योग्य है। उक्त भुमि पैतृक नही है। उक्त भुमि नन्दु देवी को दान में मिली। जिस पर उसका स्वंय का हक है। अन्य का नही है। उसके अपने जीवनकाल में उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 को वसीयत से दे दी जिस पर प्रतिवादी का कब्जा है व वादी का किसी तरह का हक व हिस्सा नही है। वादीगण ने तथ्य छिपाकर उक्त वाद किया है। इस वाद से पुर्व वादी द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में नामान्तरकण फैसल किया गया व संभागीय आयुक्त ने प्रतिवादीगण के पक्ष मे प्रतिवादी का हिस्सा व हक मानते हुये निर्णय पारीत किया। वादीगण द्वारा संभागीय आयुक्त के निर्णय की अपील नही की उक्त तथ्य न्यायालय से छिपाया। एक प्रकरण के निर्णय होने के बाद उसकी अपील हो सकती हैं लेकिन उसी प्रकरण के संदर्भ में दुबारा नया वाद नही हो सकता। इसलिये वादी का दावा खारीज होने योग्य हैं प्रतिवादीगण का सन 2003 से पूर्व भी कब्जा था 2003 के बाद लगातार कब्जा है व प्रतिवादी का 12 वर्ष से अधिक का कब्जा होने से वादीगण का दावा मियाद बाहर है वादीगण का दावा नही चल सकता हैं। अतः वादीगण का दावा खारीज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण की और से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रतिवादी मुताबिक वसीयत खातेदारी घोषणा के हकदार है। व 12 वर्ष से अधिक का कब्जा होने से भी खातेदारी प्राप्त करने के हकदार है। वादी प्रभावशाली सम्पन्न है व प्रतिवादी गरीब है इसलिये डरा धमका कर जमीन छीनना चाहता है। प्रतिवादी उक्त वर्णित भुमि का मुताबिक वसीयत व 12 वर्ष से अधिक के कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री बहक प्रतिवादी विरूद्व वादीगण प्रदान करे। उक्त वर्णित भुमि में वादी स्वंय दखल नही करें न ही अपने रिश्तेदारो नोकरो ऐजेन्टो से करावे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रतिवादी विरूद्व वादीगण प्रदान कराना फरमावे।

वकील वादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत फर्जी एवं बनावटी है। इस कारण प्रतिवादीगण किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं प्रतिवादीगण का 12 वर्ष से अधिक कब्जा कास्त होने का तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार हैं विवादित कृषि पर वर्तमान में वादीगण का कब्जा होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण के नाम राधावल्लभ की भूमि थी। जो विरासत से वादीगण की माता नन्दु पिता राधावल्लभ की भूमि हैं नन्दु देवी वादीगण की माता होने से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 विधिक वारिसान हैं इस कारण वादीगण 2/3 एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 तक हक व हिस्सा बनता हैं जिसके लिये वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एव न्याय संगत है। प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज कर वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाने की आज्ञा पारित कराना फरमावे।

वादीगण ने वाद पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075, नन्दु देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश किये गये। वकील प्रतिवादी ने न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के निर्णय की प्रति, न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के निर्णय की प्रति, न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर के निर्णय की प्रति प्रस्तुत की। जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान बताया की उक्त भुमि स्वअर्जित भुमि नही है। यह भूमि नन्दु देवी को पिता से प्राप्त हुई है। जिससे नन्दु देवी वादीगण की माता होने से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 विधिक वारिसान हैं। इस कारण वादीगण 2/3 एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 तक हक व हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कराना फरमावे। वकील प्रतिवादी ने बहस के दौरान बताया की उक्त भुमि नन्दु देवी को जरिये दान से प्राप्त हुई। पुश्तैनी भुमि नही है। नन्दु देवी द्वारा विवादित भुमि की प्रतिवादीगण के पक्ष में वसीयत की गई थी। प्रतिवादी को उक्त वर्णित भुमि का मुताबिक वसीयत के आधार पर खातेदार घोषित कराना फरमावे। मैने उभय पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि नन्दु देवी की स्वअर्जित भुमि नही होकर पिता से प्राप्त हुई है। जो विरासत से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भुमि को नन्दु देवी को जरिये दान से प्राप्त होना बताया है। लेकिन प्रतिवादी द्वारा उक्त दान की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। तथा प्रतिवादीगण ने नन्दु देवी द्वारा विवादित भुमि को प्रतिवादीगण के पक्ष में वसीयत करना बताया है। लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा अब तक कोई वसीयत की प्रति प्रस्तुत नही की गई है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार विवादित भूमि पुश्तैनी भुमि होने से वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 नन्दु देवी के विधिक वारिसान होने से वादीगण 2/3 एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 तक हक व हिस्सा बनता हैं जिसके लिये वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाना उचित है। जिससे न्यायालय वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। तथा डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 6340, 6341, 6353, 6357 कुल किता 4 रकबा 04.03 बीघा में वादीगण 2/3 एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हक व हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.01.19 12:17:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: